



# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 9091 / 2025

दिनांक: 23 दिसम्बर, 2025

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,  
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक  
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,  
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,  
बलिया।

विषय:-शैक्षणिक संस्थाओं(स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया के पत्र संख्या: 1121/29-निर्वाचन-वि0प्र0पुन0/पंजीकरण/2025, दिनांक: 20 दिसम्बर, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

अतः माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही की सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

  
(एस0एल0 पाल)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. जनसम्पर्क अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. प्रभारी वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

  
कुलसचिव



# कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बलिया

फोन नं०-05498-225808 ई मेल-adeo-bal@up.nic.in

पत्र संख्या-112/29-निर्वाचन-वि०प्र०पुन०/पंजीकरण/2025

दिनांक 20 दिसम्बर, 2025

1. समस्त उप जिलाधिकारी एवं अपर उप जिलाधिकारी/  
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जनपद-बलिया।
2. कुल सचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।

विषय- शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-572/सी०ई०ओ०-6-33/6-2013 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्तमान समय में गतिमान अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण हेतु आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणना प्रपत्र भरे जाने एवं जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 26.12.2025, मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 31.12.2025 तथा दावे और आपत्तियां प्राप्त किये जाने की अवधि दिनांक 31.12.2025 से दिनांक 30.01.2026 तक नियत होने संबंधी सूचना से अवगत कराते हुए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अथवा पूर्ण करने वाले हैं, का पंजीकरण कराये जाने के लिए निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं-

1. स्वीप योजना के अंतर्गत मतदाता साक्षरता (Electoral Literacy) के लिए जनपद स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) गठित हैं। जिन शैक्षणिक संस्थाओं में मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) गठित नहीं है, वहां मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) का गठन कर लिया जाय।
  2. मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) गठन किये जाने का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं, जिन्होंने अर्हक तिथि को अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा पूर्ण करने वाले हैं, का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराना एवं उनको निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराना है। कालेजों और विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) द्वारा छात्र/छात्राओं को मतदाता साक्षरता का व्यवहारिक अनुभव भी उपलब्ध कराया जाना है।
  3. शिक्षण संस्थान में कार्यरत ऐसे शिक्षक विशेषकर जिन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का अनुभव है, उन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा (राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक को वरीयता दी जाय)।
  4. प्रत्येक कक्षा से एक छात्र/छात्रा को मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यकारी समिति (Executive Committee) का सदस्य बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त उन्हीं में से किसी एक छात्र/छात्रा को कैंपस एंबेसडर नामित किया जायेगा, जो नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे।
  5. मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चिन्हीकरण किया जाय।
  6. सभी पात्र छात्र/छात्राओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निर्धारित फार्म-6 ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भरे जाने की जानकारी दी जाय।
  7. शैक्षणिक संस्थाओं के अर्ह मतदाताओं को ऑनलाइन पोर्टल <http://voters.eci.gov.in> के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
  8. उक्त गतिविधियों में एन०एस०एस०, नेहरू युवा संगठन तथा भारत स्काउट एण्ड गाइड का भी सहयोग लिया जाय।
- अतएव संदर्भित पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(अनिल कुमार)

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
बलिया।

पत्र संख्या- /29-निर्वाचन-वि०प्र०पुन०/पंजीकरण/2025 तददिनांक।

- प्रतिलिपि-1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।  
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/  
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
बलिया।



“शुद्ध निर्वाचक नामावली-मजबूत लोकतंत्र”

# कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ-226001

संख्या- 572/सी0ई0ओ0-6-33/6-2013

लखनऊ: दिनांक: 1 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

1-निदेशक,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

2-निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा विभाग,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय:** शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 गतिमान है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणना प्रपत्र भरे जाने एवं जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 26 दिसम्बर, 2025 है तथा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 31.12.2025 को किया जायेगा। दिनांक 31.12.2025 से 30.01.2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

2- विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अथवा पूर्ण करने वाले हैं का पंजीकरण कराये जाने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता साक्षरता (Electoral Literacy) के लिए जनपद स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy clubs) गठित हैं। जिन शैक्षणिक संस्थाओं में मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) गठित नहीं है वहाँ मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) का गठन कर लिया जाय।

2- मतदाता साक्षरता क्लब गठन (ELC) किये जाने का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हता तिथि को अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा पूर्ण करने वाले हैं, का शतप्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराना एवं उनको निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराना है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसर (University Campus) में स्थापित मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) द्वारा छात्र/छात्राओं को मतदाता साक्षरता का व्यवहारिक अनुभव भी उपलब्ध कराया जाना है।

शिक्षण संस्थान में कार्यरत ऐसे शिक्षक विशेषकर जिन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का अनुभव है, उन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा (राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक को वरीयता दी जाय)।

प्रत्येक कक्षा से एक छात्र/छात्रा को मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यकारी समिति (Executive Committee) का सदस्य बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त उन्हीं में से किसी एक छात्र/छात्रा को कैपस एंबेसडर नामित किया जायेगा, जो नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे।

5- मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चिन्हीकरण किया जाय।

1791

Dy DEO

जिलाधिकारी  
बलिया

12/11/25

- ① सहाय ERO  
② कुलसचिव, प-6 शै/उ  
विश्वविद्यालय  
बलिया  
③ DDOs बलिया

Dy DEO

BLA  
19-11-2025

- 6- सभी पात्र छात्र/छात्राओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निर्धारित फार्म-6 ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भरे जाने की जानकारी दी जाय।
- 7- शैक्षणिक संस्थाओं के अर्ह मतदाताओं को ऑनलाइन पोर्टल <https://voters.eci.gov.in> के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- 8- उक्त गतिविधियों में एन0एस0एस0, नेहरू युवा संगठन तथा भारत स्काउट एण्ड गाइड का भी सहयोग लिया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या-572(1)/सीईओ-6 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 2-प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 3-समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के स्वीप नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4-स्टेट को-ऑर्डिनेटर, एन0एस0एस0, उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5-प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट एण्ड गाइड, उ0प्र0 गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6-जोनल निदेशक, नेहरू युवा संगठन, 2/62एम, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी